The CPIO. Home Affairs Ministry.pdf Add label





Satish khil... Yesterday to secy.president... ^





•

From Satish khilari • satishkhilari81@gmail.com

To secy.president@rb.nic.in us.petitions@rb.nic.in cm@maharashtra.gov.in defsecy@nic.in hshso@nic.in


Date Aug 11, 2025, 11:40 AM

View security details

Subject: Urgent – Action Required on My Petition Forwarded by Hon'ble President's Secretariat

To:

1. Her Excellency, The President of India



Subject: Urgent - Action Required on My Petition Forwarded by Hon'ble President's Secretariat To: 1. Her Excellency, The President of India 2. The Hon'ble Defence Secretary 3. The Hon'ble Chief Minister of Maharashtra From: Satish Kashinath Khilari (Dismissed Primary Teacher, ZP Sangli) Kargani, Tal. Atpadi, Dist. Sangli – 415306 Respected Sir/Madam, My petition, forwarded through the Hon'ble President's Secretariat to the Maharashtra Rural Development Department, has been pending without response since 11 July 2025. This matter concerns grave injustice, despite my acknowledged efforts to prevent national security breaches and government fraud. My livelihood depends on this decision. If no action or reply is received by 13 August 2025, I will be compelled to publish the information I hold via a public website as a protest. Any consequences arising on Independence Day will be due to administrative inaction. I request your immediate intervention to direct the concerned authorities to act without further delay.

Yours faithfully,



Happy Independence Day.pdf Add label





Satish kh... 2 days ago to secy.president... ^





•


From Satish khilari • satishkhilari81@gmail.com

To secy.president@rb.nic.in us.petitions@rb.nic.in defsecy@nic.in cm@maharashtra.gov.in

Date Aug 7, 2025, 11:58 AM

View security details

Subject: Request for Immediate Action Regarding National Security Concerns and Administrative Injustice – Reference Email dated 6 August 2025



Subject: Request for Immediate Action Regarding National Security Concerns and Administrative Injustice - Reference Email dated 6 August 2025

To,

Her Excellency, The President of India

Supreme Commander of the Armed Forces,

Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

The Hon'ble Defence Secretary,

Cabinet Secretariat, South Block,

New Delhi.

The Hon'ble Chief Minister,

Government of Maharashtra,

Mantralaya, Mumbai.

From:

Satish Kashinath Khilari

(Former Primary Teacher, Zilla Parishad, Sangli)

Address: Karagani, Taluka Atpadi,

District Sangli - 415306

Subject: Necessity of Informing Citizens About the Current Threats to National Security on the Occasion of Independence Day

Reference: My email dated 6th August 2025 addressed to the Hon'ble Deputy Secretary (Zilla Parishad Establishment), Rural Development Department, Mantralaya, Mumbai.

Respected Sir/Madam,

In 2015, a recruitment drive was conducted for 1,050 vacancies at the Aurangabad Army Recruitment Office. Suspecting irregularities, the then Recruitment Director, Hon'ble Col. Mohanpal Singh Rampal Singh, ordered verification of domicile certificates through gazetted officers. This investigation revealed that 43 candidates had submitted forged documents, and a case of cheating the government was registered against them (FIR No. 189/2016 - Cantonment Police Station, Aurangabad).

Among those, 39 individuals hailed from Sangli, Satara, and Kolhapur districts and were associated with a Public Registered Trust-run academy. This academy has allegedly facilitated the recruitment of hundreds of unqualified candidates in rallies at Mumbai, Pune, and Kolhapur using fraudulent documents. However, unlike in Aurangabad, document verification was not conducted at these centres, primarily due to systemic corruption.

This situation is not only a serious threat to national security but also a case of fraud on the state machinery and a grave injustice to deserving youth. I

have submitted detailed complaints with supporting evidence to various government bodies and investigation agencies. After exhausting official channels and receiving no just response, I now seek intervention from Your Excellency, the Supreme Commander of the Armed Forces.

In this context, I must also mention that my absence from government service (as a ZP Primary Teacher) was a result of self-protection due to threats I received while following up on this matter. Despite a positive response from the Hon'ble Chief Minister's Secretariat, the concerned administrative authorities unjustly terminated my services, disregarding my legitimate request not to treat my absence as unauthorised.

I appealed against this action, and my plea has been officially forwarded by the Hon'ble Under Secretary of the President's Secretariat to the Chief Secretary, Government of Maharashtra, and also electronically to the Hon'ble Defence Secretary for appropriate action. The Chief Secretary's office has since forwarded the matter to the Hon'ble Deputy Secretary, Rural Development Department for necessary action. I have followed up continuously since 11 July 2025, including a reminder email granting them a deadline till 13 August 2025.

If my requests are again ignored without justification, I shall be left with no option but to invoke my fundamental right to freedom of expression under Article 19(1)(a) and inform the public of the ongoing security lapse on the occasion of Independence Day.

I earnestly request:

That necessary directions be issued to the concerned authorities to take appropriate action as per the points raised in my reference email dated 6 August 2025.

Sincerely,

Satish Kashinath Khilari

(Former Zilla Parishad Teacher)

Karagani, Tal. Atpadi, Dist. Sangli



राष्ट्रपति सचिवालय President's Secretariat (PUBLIC-I SECTION) Rashtrapati Bhavan नई दिल्ली - 110004 New Delhi - 110004 110001 22.07.2025 0E8F 00175771





सेवा में/To, सिवत, भारत सरकार SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली North Block,New Delhi

SI.No: P1/B/202507032970

110001

दिनांक/Dated: 10/07/2025

विषय/Subject:REQUEST FOR ATTENTION ON HIS/HER PETITION

कृपया, उपर्युक्त विषय पर, भारत के राष्ट्रपति जी को सम्बोधित दिनांक: 25/06/2025 की स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है | Enclosed please find for appropriate attention a petition dated: 25/06/2025 addressed to the President of India on the above subject matter, which is self explanatory.

याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाये | Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.

प्रतिसिपि/ Copy to: Shri SATISH KASHINATH KHILARI KARAGANI, TALUKA ATPADI, DISTT. SANGLI, MAHARASHTRA INDIA

आपसे अनुरोध है की मामले में आगे जानकारी के लिए, उपर्युक्त प्रेषिती से सीधे संपर्क करें | You are further requested to liaise with the aforementioned addressee directly for further information in the matter.

(गौतम कुमार Gautam Kumar) अवर सचिव Under Secretary

बुक पोस्ट

भारत सरकार सेवार्थ / ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

SI.No:

P1/B/202507032970

द्वारा / From: राष्ट्रपति सचिवालय President's Secretariat राष्ट्रपति भवन Rashtrapati Bhavan नई दिल्ली 110004 NEW DELHI-110004

To: Shri SATISH KASHINATH KHILARI KARAGANI, TALUKA ATPADI, DISTT. SANGLI, MAHARASHTRA INDIA

Note:- You may use https://helpline.rashtrapatibhavan.gov.in for submitting your petition/grievance online. नोट: आप अपनी याचिका दर्ज करने के लिए https://helpline.rashtrapatibhavan.gov.in का उपयोग कर सकते हैं.



No.0496/RTI/07/25-26 राष्ट्रपतिसचिवालय

PRESIDENT'S SECRETARIAT RTI SECTION

राष्ट्रपतिभवन, नई दिल्ली–110004 Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004

30 July, 2025

To

Shri Satish Kashinath Khilari At/Post Kargani, Taluka Atpadi, District Sangli, Maharashtra – 415306.

Sub:- Supply of the Information under RTI Act, 2005.

Sir,

Reference your RTI application dated 04.07.2025 received on 08.07.2025. Based on inputs received from the concerned sections of this Secretariat, the reply is as under:

The petition vide speed post no. EN3459543951N dated 25.06.2025 was received in the concerned Section of this Secretariat. The same was forwarded to the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, for appropriate attention vide forwarding letter No. P1/B/202507032970 dated 10.07.2025 (computer generated copy enclosed).

It is requested that you may kindly approach and obtain further information from the concerned Public Authority of Ministry of Home Affairs, New Delhi to whom your above petition was forwarded.

If you are not satisfied or aggrieved with the aforementioned reply to your RTI application, you may prefer an appeal to the Appellate Authority of this Secretariat under section 19(1) of the RTI Act, 2005 within 30 days of the receipt of this letter at the following address: **Ms. Vidisha Maitra, Officer on Special Duty and Appellate Authority**, President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi – 110 004 (E-mail:faa@rb.nic.in&Tel.: 011-23792199).

Yours faithfully

Enclosures: As above (01 page)

(Bharat Bhushan)

Deputy Secretary (RTI) & CPIO Tel.: 011-23015321

E-mail:so.rti@rb.nic.in









:



US Petiti... 4 days ago to D/o, me ~





:


महोदय/ महोदया Sir/Madam.

कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है। याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाये। Attached please find for appropriate attention an email petition addressed to the President of India which is self explanatory. Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly. सादर,


(गौतम कुमार) (Gautam Kumar)

Regards,

अवर सचिव Under Secretary राष्ट्रपति सचिवालय President's Secretariat राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली Rashtrapati Bhavan, New Delhi







Subject: Request for Immediate Action Based on the Acknowledgment by Hon'ble President's and Chief Minister's Secretariats regarding the Email Dated 1st August 2025

To, Hon'ble Deputy Secretary, (Zilha Parishad Establishment), (SM). N.S. Ranade) Rural Development Department, Mantralaya, Mumbai.

Respected Madam,

I, Satish Kashinath Khilari, former Primary Teacher at Zilla Parishad, Sangli, was dismissed from service due to absence. However, during the said absence, I was involved in work related to national security and exposing the misuse of forged documents for government employment, aiming to prevent fraud on the government.

The seriousness of this work has been duly acknowledged by both the Hon'ble President's Secretariat and the Hon'ble Chief Minister's Secretariat, as evidenced by their positive and proactive responses to my email dated 1st August 2025.

As I understand, the journey of the said email has progressed as follows:

- The Hon'ble Under Secretary of the President's Secretariat forwarded it to the Defence Secretary.
- The Hon'ble Chief Minister's Secretariat forwarded it to the Principal Secretary, Rural Development
- The Principal Secretary, RDD, then forwarded the matter to your office for further action.

In light of this, I earnestly request immediate action on the following pending demands already communicated

Immediate revocation of the unjust dismissal order.

Transfer to a Zilla Parishad Primary School in Nashik district.

Consideration of the period of absence as authorized, not unauthorized, and approval of 50% pending salary with pay increment accordingly.

I humbly request that your office convey its opinion or decision regarding the above demands on or before 13th August 2025, preferably two days prior to Independence Day, through email, written letter, or phone

Yours faithfully, Satish Kashinath Khilari (Dismissed Primary Teacher, Zilla Parishad, Sangli) Mob. No.: [9890820683]

Email: [satishkhilari81@gmail.com]

(Satish Kashinath Klulari)

Copies to:

Honorable The Defence Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.

Honorable The Chief Minister of the State of Maharashtra.



Mumbai GPO (400001) SP IM000740038IN, IVR No:18002666868 07/08/2025 09:57:49. Counter No.6 To: DEFENSE SECRETARY Nirman Bhawa, DELHI - 110011 From: SAITSH K KHTLARY-415306 Amt: 35.00, CGST:3.00 SGST:3.00 Coll.Amt:41.00, WL:10(Actual)gms P. Mode: Cash,

Scanned with CamScanner

बिनती आवेदन

तारीख 15/05/2019

0.1V 07/9

प्रति, माननीय सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस माननीय राष्ट्रपतीजी, श्री.रामनाथ कोविंद जी

विनती आवेदन का कारण : महाराष्ट्र राज्य के कुलाबा, पुणे और कोल्हापूर थलसेना भर्ती ऑफीसेस में फर्जी दस्तावेज देकर अनेक संख्या से जवान सेना में नौकरी कर रहे हैं, जिसकी जाँच पडताल करके उनपर उचित कानुनी कारवाइ करने के लिए ।

विनती करनेवाला : श्री.सतीश काशिनाथ खिलारी

मु.पो.करगणी, तहसील : आटपाडी, जिला - सांगली, राज्य महाराष्ट्र - 415306

माननीय महोदयजी,

महाराष्ट्र राज्य में हमारे देश की सेना में भर्ती करने के लिए कुलाबा, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद और नागपूर के आर्मी रिक्नुटमेंट ऑफीसेस भर्ती की प्रक्रीया करते हैं । भर्ती के समय उम्मीदवारों को सिमीत जिलों के अधिवास होने का नियम हैं।

21/07/2015 से 06/08/2015 तक औरंगाबाद के नजदिकी सिमीत जिलों में अधिवास होने वाले उम्मीदवारों के लिए आर्मी भर्ती रॅली हो रही थी । इस रॅली में कोल्हापूर आर्मी रिक्नुटमेंट के सिमित जिलें कोल्हापूर, सांगली और सातारा जिलों के चारसौ पचास से जादा उम्मीदवारोंने भर्ती रॅली में अधिवास (डोमेसाईल) राष्ट्रीयत्व (नॅशनॅलीटी) रहिवासी (रेसीडेन्सीअल) इन दस्तावेजो की फोटो कॉपी जिनपर राजपत्रीत अधिकारींयों के झुठे सिक्के और दस्तखत करके भर्ती में शामिल हो गए हैं । जिनमें से बयालीस उम्मीदवारोंका अंतिम चयन हो गया था ।

भर्ती के मुख्याधिकारी कर्नल मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह को दस्तावेजोंपर शक होने के बाद उन दस्तावेजों का सत्यापन किया ।

सत्यापन में बयालीस उम्मीदवार कोल्हापूर, सांगली और सातारा जिलों के होने के पक्के सबुत पाये गए। 'इन बयालीस अंतीम चयन हो चुके जवानों के साथ मध्यप्रदेश के एक उम्मीदवार का अंतीम चयन हो गया। ऐसे कुल तैतालीस जवान फर्जी दस्तावेज देकर सेना में भर्ती हो चुके हैं' यह माननीय कर्नलजी को समझ में आ गया।

तारीख 26/05/2016 को औरंगाबाद में महाराष्ट्र पुलीस थाना छावणी (कॅन्टोनमेन्ट 5) इसमें इन तैतालीस जवानो का कर्नल मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह ने F.I.R. 189 से धारा 420, 461 और 471 से अपराध दर्ज किया। महोदय जी,

कोल्हापूर, सांगली और सातारा के ये भर्ती रॅली में उतरे लगभग चारसौ पचास उम्मीदवार और अंतीम चयन हो चुके बयालीस उम्मीदवारों को फर्जी दस्तावेज एक पब्लिक ट्रस्ट रिजस्ट्रेशन ऑफीस सांगली में पंजीकरण नं. F-7799 के नाम से पंजीकरण ट्रस्ट आदर्श करीअर ॲकॅडमी (पुलीस और सेना भर्ती का पुर्व प्रशिक्षण देनेवाले) इसके है । इन बयालीस अपराधीयों में से कुछ सन 2017 से आर्मी में झुठे (ऑफीडेव्हीट) शपथपत्र देकर नौकरी कर रहें हैं । जिसके शपथपत्रों का पडताल 18 महिनो में आजतक नहीं हुआ हैं । आदर्श करीअर ॲकॅडमी ट्रस्ट ने अपने आर्थिक फायदों के लिए कुलाबा, पुणे, औरंगाबाद और कोल्हापूर में बहुत संख्यासे जवानों को झुठे दस्तावेज देकर अंतीम चयन किया हैं।

सुचना का अधिकार नियम 2005 (R.T.I.) से महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (M.S.R.T.C.) तारीख 05/10/2017 को राज्य परिवहन इस्लामपूर से जानकारी मीली है। जानकारी आदर्श करिअर ॲकॅडमी ट्रस्ट बहादूरवाडी को सेना भर्ती के लिए ज्यादा बुकिंग से भर्ती को जानेवाले बसों कि है। जो जुलै 2015 से दिसंबर 2016 तकही सिमीत है।

यह जानकारी हमे बता देती हैं की, कुलाबा, पुणे और औरंगाबाद में सेना भरती के समय पैतालीस यात्री क्षमता वाली तैतालीस बस भर्ती को जा चुके थे । बसों को आदर्श करीअर ॲकॅडमी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष शिवाजी शंकर खोत ने बुक किया था । लगभग 1935 तक फर्जी दस्तावेज होनेवाले उम्मीदवार ट्रस्ट के बुक बसों से भर्ती को जा चुके थे ।

औरंगाबाद (F.I.R.-189) के अपराधी 18 महिनो से झुठे शपथपत्र (ॲफीडेव्हीट) देकर सेना में काम कर रहे है ।

आदर्श करीअर ॲकॅडमी के खिलाफ स्थानिय पुलीस थाना शिकायत नहीं ले रहे हैं ।

''शायद सेना भर्ती करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के पैसे लेकर प्रमाणपत्रो की जॉच पडताल नहीं करते है''।

महोदय जी,

फर्जी दस्तावेज देकर सेना में अंतीम चयन होना और जिसकी जाँच पडताल न होना यह बात हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं । फर्जी दस्तावेज देकर आर्मी में भर्ती होनेवाले उम्मीदवारों की जाँच पडताल करके उनपर कानुनी कारवाई होनी चाहिए यह आपसे बिनती हैं ।

श्री.सतीश काशिनाथ खिलारी बिनती करनेवाला (मो.नं : 7517549999) 1) माननीय राष्ट्रपतीजी, नई दिल्ली 2) माननीय प्रधानमंत्रीजी, नई दिल्ली 3) माननीय रक्षामंत्रीजी, नई दिल्ली 4) माननीय थल सेनाध्यक्ष, नई दिल्ली



★ शिकायत आवेदन ★

तारीख:: 24 फरवरी 2022

प्रति,

माननीय श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति साहब जी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

आवेदनकर्ता

सतीश काशीनाथ खिलारी

गाँव : करगनी तालुका :आटपाडी जिला : सांगली

राज्य : महाराष्ट्र पिन कोड 415 306

मोबाइल नंबर 751 754 9999, 989 082 0683

ईमेल आईडी : satishkhilari81@gmail.com

शिकायत इनके खिलाफ़:

माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, श्रीमान भगतसिंह कोश्यारी जी।

शिकायत का कारण:

महाराष्ट्र राज्य मे **राष्ट्रपति शासन** की जरूरत की उपेक्षा करना।

संदर्भ:

- 1. तारीख़ 23 दिसंबर 2021 को दी हुई राष्ट्रपति शासन के मांग की अर्जी।
- 2. तारीख़ 30 दिसंबर 2021 को दी हुई **जानकारी अधिकार अधिनियम 2005** का अर्जी।
- 3. तारीख़ 20 जनवरी 2022 का मूल अर्जी का परिशिष्ट नम्बर एक।
- 4. तारीख़ 04 फरवरी 2022 का मूल अर्जी का परिशिष्ट नम्बर दो।

5. जानकारी अधिकार अधिनियम 2005 के अर्जी का जवाब।

महोदय जी,

महाराष्ट्र में से **भारतीय सेना भरती** के समय कुछ सेना भरती कार्यालयों से भरती होने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की पड़ताल भ्रष्टाचारों के कारण न होने के कारण उचित उम्मीदवारों पर अन्याय होता हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको तारीख़ 15 मई 2019 को उनके सबूतों के साथ दी थी जिसपर कार्यवाही के बारे में दी हुई जानकारी अधिकार अधिनियम 2005 के अर्जी का जवाब मुझे आपके कार्यालय से अब तक नहीं मिला है।

इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके उचित उम्मीदवारों पर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मैं माननीय केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार और उसके अनुरूप प्रशासनिक अधिकारी इनकी तरफ से कोशिश करता रहा लेकिन सफलता न मिलने के कारण मैंने मेरे महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पिछले साल के 23 दिसंबर को कानूनी तरह से माननीय राज्यपाल जी को आपको अर्जी देने की बिनती की थी। मूल अर्ज देने के बाद मुझे मिले और भी सबूतों को मैंने उस अर्जी की परिशष्ट की तरह उनके कार्यालय में दी थी।

मेरी अर्जी पर कार्यवाही की जानकारी उचित कानूनी तरह से 'जानकारी अधिकार अधि-नियम 2005' से मैंने माँगी थी जिससे मिले जवाब ने मुझे आपको उनके खिलाफ 'शिकायत' करने के लिए 'मजबूर' बनाया। महोदय जी,

केंद्र सरकार गैर तरीके से सेना भरती होने वाले जवानों पर उचित कार्रवाई न करते दिखने के कारण महाराष्ट्र राज्य सरकार के सभी मंत्रिमंडल को पोस्ट के माध्यम से सच्चाई बताकर राज्य के कुलाबा, पुणे और कोल्हापुर इन सेना भरती कार्यालयों से चयन होने वाले हर एक जवान के अधिवास और चरित्र प्रमाणपत्रों की जांच माननीय उच्च न्यायालय की देखरेख के अनुसार करने के की बिनती की थी। इस बात को 'गंभीरता' से नहीं लिया है इसकी जानकारी राज्य सरकार के 'सामान्य प्रशासन विभाग' से मुझे मिल गई थी जो माननीय राज्यपाल जी को मैंने भैजी थी।

राज्य सरकार के 'गृह विभाग' की 'उचित कानूनी कार्यवाही' शायद 'सभी मंत्रिमंडल' ही न चाहने के कारण आधी-अध्री ही है।

आपको 15 मई 2019 को मैंने दी हुई अर्जी के तहत सार्वजनिक न्यास पंजीकरण कार्यालय जिला सांगली में रजिस्टर ट्रस्ट आदर्श करिअर अकादमी, बहादुरवाड़ी इसके पदाधिकारियों का 'महाराष्ट्र पुलिस' ने लिया हुआ पूछताछ बयान मैंने भारतीय सेना भरती विभाग पर किए हुए 'भ्रष्टाचार' के "इल्जाम को 'सच्चा' साबित करने का रास्ता बन चुका है"। औरंगाबाद सेना भरती कार्यालय के भरती संचालक माननीय मोहनपाल सिंह रामपाल सिंहजी

ने साल 2015 की भरती के झूठे दस्तावेजों से अंतिम चयन होने वाले जवानों पर तारीख 26 मई 2016 को छावनी पुलिस थाना, औरंगाबाद यहां की हुई केस अभी भी 'पूछताछ की स्थित' में ही है। जिसके छह गुनहगार को अब तक संबंधित पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार नहीं किया है। यह मुकदमा सरकार से धोखाधड़ी के कारण दाखिल होने के कारण महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग और माननीय पुलिस महा निदेशक जी को बिनती और संबंधित पुलिस के विरोध में शिकायत भी कर रहा हूँ पर उन छह गुनहगारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है।

गिरफ्तारी के लिए संबंधित पुलिस कर्मचारी से फोन पर हुई 'बातचीत' के फोन कॉल रेकॉर्डिंग के 'दो' ऑडियो क्लिप इस आवेदन के साथ मेमरी कार्ड से भेज रहा हूँ जिससे राज्य सरकार की अपराधियों को गिरफ्तारी की नजरंदाजी/ लापरवाही/ अनदेखी 'साबित' होती हैं। <u>_हर साल ऊपर लिखे हुए सेना भरती कार्यालयों से सेना में भरती होकर **देश की सेवा**</u> करने का मौका पाने के लिए लगभग पचास हजार से अधिक युवक रैली को आते है। उनमें से सिर्फ एक हजार तक ही युवकों को **सेना में जवान** होने का मौका मिलता हैं। **हमारे देश के हर** किसी भी पात्र युवक को खुद अपने अधिवास से उचित रखी सेना भरती कार्यालय से भरती होने का अधिकार है और इस कारण झूठे दस्तावेज देकर भरती हुआ युवक सेना का जवान नहीं बन सकता। आदर्श करिअर अकादमी बहाद्रवाड़ी इस अकादमी से अब तक पांचसौ से ज्यादा प्रशिक्षणार्थी झुठे अधिवास प्रमाणपत्रों को देकर आर्मी में चयन हुए हैं (औरंगाबाद केस के कुछ अपराधी केस के निकाल से पहले ही झूठे चरित्र प्रमाणपत्र देकर कोल्हापुर भरती कार्यालय से आर्मी जॉइन हो चुके हैं।) पर माननीय केंद्र और राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्रों वाली प्रशासनिक व्यवस्था एवं तपास यंत्रणाओं से उनके सर्टिफिकेट की पड़ताल करके उन पर उचित कार्रवाई नही करते हैं जिसके सब्तों के साथ मैंने माननीय राज्यपाल जी को आपको राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग के लिए अर्जी करने की बिनती की थी पर जानकारी अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी के अनुसार मेरी अर्जी कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग को ही भेजी हैं जिसमें वह आपको न देने का कानूनी कारण नहीं बताया है। <u>"औरंगाबाद के केस की दिख रही स्थिति 'देश के सुरक्षा से जुड़े केस पर भी आराम से</u> चल रही न्याय व्यवस्था' यह आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनते दिख रही है"।

तरीके से आपको इस पर ध्यान देने के लिए बिनती करता हूँ क्योंकि आने वाले पंद्रह दिनों में आपकी इस पर लापरवाही अन्याय होने वाले युवकों को आंदोलन आदि विकल्पों को अपनाने के लिए मजबूर बना देगी।

आशा करता हूँ कि, हमारा देश बेरोजगारी की परेशानियों से चल रहा है इसलिए देश के सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस जिम्मेदारी से कारण सेना भरती प्रक्रियाओं में चल रहे गैर प्रकारों को आप खत्म करेंगे।

आपका अपना

सतीश काशीनाथ खिलारी

संलग्न:

- 1. अर्जी के संदर्भित दस्तावेज की फोटोकॉपियाँ।
- 2. कॉल रेकॉर्डिंग के ऑडियो क्लिप।

★ शिकायत आवेदन परिशिष्ट 1 ★

तारीख़:: 01 मार्च 2022

प्रति,

1.माननीय श्रीमान राम नाथ कोविंद जी,

स्प्रीम कमाण्डर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज़ और

माननीय राष्ट्रपति साहब जी, ईमेल आईडी: presidentofindia@rb.nic.in

2.माननीय श्री के डी त्रिपाठी,

Secretary to the President ईमेल आईडी: Secy.president@rb.nic.in

3.माननीय लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय,

Military secretary to the President ईमेल आईडी: jsp@rb.nic.in

4.माननीय ग्रुप कैप्टन अभय ए. फनसानलकर,

Deputy Military secretary to the president ईमेल आईडी js.ssp.@rb.nic.in

5.माननीय डायरेक्टर ऑफ आर्मी रिक्रूटिंग

Army recruiting office Aurangabad ईमेल आईडी. aromarathwada@gmail.com

आवेदनकर्ता

सतीश काशीनाथ खिलारी

गाँव : करगनी तालुका :आटपाडी जिला : सांगली

राज्य : महाराष्ट्र पिन कोड 415 306

मोबाइल नंबर 751 754 9999, 989 082 0683

ईमेल आईडी : satishkhilari81@gmail.com

शिकायत का कारण:

महाराष्ट्र राज्य में **सेना भरती के 'समय' होने वाले ग़ैरकानूनी बातों पर** केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी अनदेखा।

संदर्भ:

- तारीख़ 24 फरवरी 2022 को माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र इनके खिलाफ आपको स्पीड पोस्ट कन्साइनमेंट नं EM959704171IN इस डाक से भेजा हुआ शिकायत आवेदन ।
- 2. तारीख़ 30 दिसंबर 2021 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार और माननीय पुलिस महा निदेशक साहब, महाराष्ट्र इनको जानकारी अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मांगी हुई जानकारी का मुझे मिला जवाब।

महोदय जी,

साल 2015 को औरंगाबाद सेना भरती कार्यालय की जगह पर एक हजार पचास रिक्त पदों के लिए हो चुकी रैली में से तैंतालीस अंतिम चयन हो चुके जवानों ने भरती के समय झूठे/ फर्जी अधिवास प्रमाणपत्र दिए थे। उनके दस्तावेजों की पड़ताल संबंधित तहसीलदार साहब की तरफ से करके उस बारे में उनका लिखित अभिप्राय लेकर ऑफिस के भरती निदेशक माननीय कर्नल साहब श्री मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह जी ने छावनी पुलिस थाना, औरंगाबाद में उनके खिलाफ तारीख़ 26 मई 2016 को 0189 इस नम्बर से प्रथम खबर रिपोर्ट दाखिल किया था।

पुलिस थाने के संबंधित अधिकारियों या अन्वेषण अधिकारियों ने अब तक उनमें से किसी भी संशयित गुनहगार को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की है। तैंतालीस में से सैंतीस अपराधी अपने आप थाने को जाकर वहां की पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया करके तारीख़ 19 अगस्त 2017 को न्यायालय से जमानत पा कर जेल से बाहर आ चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद हो चुकी अब तक की कुल अठारह में से किसी भी तारीख़ या सुनवाई के लिए वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो गए हैं। (तीन बार हाजिर होने के लिए 'सम्मन' का 'हुक्म' निकल चुका हैं।)

सेना भरती घोटाला इस शीर्षक से मैंने मेरे पास होने वाले सबूतों के साथ किए प्रयास के कारण माननीय पुलिस महा निदेशक जी के ऑफिस से मुझे मिली 'जानकारी वृतांत' के अनुसार सैंतीस में से पैंतीस अपराधी आदर्श किरअर अकादमी, बहादुरवाड़ी इस ट्रस्ट के छात्र थे। माननीय महा निदेशक जी के आदेश के कारण उपरोक्त ट्रस्ट जिस पुलिस थाने की अधिकार कक्षा में आती हैं, उस आण्टा पुलिस थाने के जाँच पड़ताल का वृतांत मैंने पहले अर्जी के साथ आपको पहुंचाया था। उस वृतांत के अनुसार उस समय अकादमी में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित सभी दो सौ पचास छात्र औरंगाबाद भरती रैली में शामिल हो गए थे। उनमें से ही अंतिम चयन हो चुके सभी छात्रों पर धोखाधड़ी का केस हुआ था। गिरफ्तार हो चुके सैंतीस में से पैंतीस अपराधी "हमारे अकादमी के ही छात्र थे" ऐसा अकादमी के अध्यक्ष पद के पदाधिकारी का अभिप्राय हमें 'जाँच पड़ताल के वृतांत' से मिला हैं। अब तक गिरफ्तार न किए हुए छह अपराधियों में से चार उपरोक्त पैंतीस अपराधियों के आसपास के जिलों के ही अधिवासी हैं। उनमें से ही किमान एक अपराधी को अकादमी ने झूठे चरित्र प्रमाणपत्र के साथ कोल्हापुर सेना भरती कार्यालय से सेना में भरती किया है।

छावनी पुलिस थाने में दाखिल गुनाह के सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके उनपर उचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए मैं प्रयास कर चुका हूँ। केस सरकार से धोखाधड़ी के कारण ही दाखिल होने के कारण सरकार के सारे मंत्रिमंडल और विरोधी पक्ष नेताओं को केस की जानकारी देकर केस के मुख्य अपराधी को ढूंढ़कर उसपर उचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए बिनती कर चुका हूँ। उनके के साथ मेरे हो चुके कुछ 'पत्र संवादों' की जानकारी मैंने 'औरंगाबाद' और 'कोल्हाप्र' सेना भरती कार्यालयों को ईमेल के जरिए दी है।

तारीख़ 7 अक्तूबर 2021 को छावनी पुलिस थाने से मुझे मिले 'पूछताछ रिपोर्ट' के अनुसार, अब तक गिरफ्तार करने के लिए बाकी रहे चुके 'छह' अपराधियों के साथ-साथ 'हो चुके' सैंतीस अपराधियों को झूठें फर्जी दस्तावेज देने वाले 'दो' अतिरिक्त अपराधी ऐसे कुल मिलाकर 'आठ' अपराधियों के अधिवास के सही पतों की उन्हें जानकारी हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और उसके कारण उनमें से कुछ अपराधियों का झूठे चरित्र प्रमाणपत्र देकर सेना भरती होने से उस गुनाह की पुनरावृति होना, ऐसे ग़ैर प्रकारों को रोकने के लिए मैंने उस संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ उनके वरिष्ठ अधिकारी माननीय पुलिस आयुक्त साहब जी, औरंगाबाद शहर इनके ऑफिस में तारीख़ 26 अक्तूबर 2021 को शिकायत की थीं। शिकायत के बाद तारीख़ 7 दिसंबर 2021 को छावनी पुलिस थाने के संबंधित केस के अन्वेषण अधिकारी पुलिस निरीक्षक श्री शरद इंगले साहब इन्होंने मुझे उन आठ अपराधियों के खिलाफ मेरे पास होने वाले 'सबूतों' को देखकर/ उसकी पड़ताल करने के बाद ही अपराधियों पर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का पत्र पोस्ट के जिरए मुझे मिला था।

सेना भरती निदेशक श्री मोहनपाल सिंह जी ने गुनाह दाखिल करने से पहले ही शक के अनुसार झूठे लगने वाले दस्तावेजों की पड़ताल संबंधित तहसीलदार साहब जी के तरफ रिपोर्ट' की और 'न्यायालय में अब चल रही प्रक्रिया' की जानकारी देकर उसकी कॉपी पोस्ट या उपरोक्त ईमेल आईडी से तारीख़ 15 मार्च 2022 तक मुझे भी दीजिए।

या फिर

3. उपरोक्त केस केवल तत्कालीन निदेशक श्री मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह इनसे ही संबंधित होने के कारण "सेना भरती कार्यालय के अन्य अधिकारियों से उसका कोई भी संबंध नहीं है"। इस आशय का पत्र मुझे तारीख़ 15 मार्च 2022 से पहले ही पोस्ट या ईमेल से भेज दीजिए।

माननीय महोदय राष्ट्रपति साहब जी,

दुनिया का 'विकसित' देश 'अपना दूसरे देश पर अधिकार' जताने के लिए 'विश्व युद्ध' की परिस्थिति खडा कर सकता है. पर उपरोक्त शासन-प्रशासन और धीमी न्याय व्यवस्था का हमारा 'प्यारा देश' पी. ओ. के. वाला हमारा 'कश्मीर' वापस नहीं ला पाएगा।

'<u>औरंगाबाद की केस' और 'आज के समय की' केंद्र सरकार एक ही राजकीय पक्ष की</u>

बहुमत से बनी सरकार होने के कारण सेना के 'भरती' के साथ ही और भी अन्य 'सेना विभाग'

<u>में चल रहे "गैर प्रकारों की 'संभावना' को मजबूत बनाती है"।</u>

अपने हक़ की रिक्त पदों से सेना भरती होने की चाहत रखने वाले युवाओं को उनपर होने वाले 'अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से मैं अब नहीं रोक सक रहा हूँ'।

और इसीलिए

देश के प्रथम नागरिक होने के कारण आपसे बिनती करता हूँ की, महाराष्ट्र राज्य के कुछ कार्यालयों से सेना भरती के समय होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसके संबंधित सभी कार्यालयों से मेरे पत्र संवाद हो चुके है और उनके लापरवाही के सबूत मैंने आपको दिए हैं। आपका उसपर 'अभिप्राय' पाना यह मेरी अंतिम कानूनी कोशिश होने के कारण मेरी अर्जी आपके ऑफिस के लिए दखल पात्र 'है' या 'नहीं' इसकी जानकारी मुझे 15 मार्च 2022 तक ही 'डाक/ पोस्ट' या उपरोक्त मेरे 'ईमेल आईडी' से मुझे दीजिए।

धन्यवाद।

__आपका अपना, सतीश काशीनाथ खिलारी







abla



US Petition RB 2:55 PM to DEFENCE, me ^



From US Petition RB • us.petitions@rb.nic.in

To DEFENCE SECRETARY • defsecy@nic.in

Cc satishkhilari81@gmail.com

Date Mar 2, 2022, 2:55 PM

Standard encryption (TLS).
View security details

महोदय/ महोदया Sir/Madam,

कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है। याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाये। Attached please find for appropriate attention an email petition addressed to the President of India which is self explanatory. Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.

सादर

Regards

(आर.के.शर्मा) (R.K.Sharma) विशेष कार्य अधिकारी Officer on Special Duty राष्ट्रपति सचिवालय







APPLICATION FOR IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL RULE IN THE STATE OF MAHARASHTRA

Date: 22nd April 2024

To:

Honorable Shrimati Draupadi Murmu Ji, President of the India, and Supreme Commander of the Armed Forces of India, New Delhi.

Applicant:

Mr. Satish Kashinath Khilari At Post: Kargani Tal. Atpadi, Dist. Sangli, State: Maharashtra,

Pin Code: 415306

Mobile Number: 9890820683, 7517549999

Email: satishkhilari81@gmail.com

Subject:

Request for the Implementation of Presidential Rule in India, Specifically in the State of Maharashtra, to Address Security Concerns.

Reference:

Previous application submitted on 24th February 2022.

Honorable Madam President,

I write to you with grave concerns regarding the prevailing security conditions in the state of Maharashtra, necessitating the urgent implementation of Presidential Rule. Despite previous attempts to address these issues, the situation persists, endangering the welfare of our citizens and the integrity of our armed forces.

The following issues outline the pressing need for your intervention:

विकास आयुक्त पुजे विकास, पुजे

- 1. **Military Recruitment Fraud:** Several instances of fraudulent enlistment using counterfeit documents have surfaced, particularly in Army Recruitment Offices in Aurangabad and Pune, Maharashtra. Despite legal action initiated against the accused, there has been a lack of decisive resolution from the state or central government.
- 2. **Judicial Inaction:** The absence of active participation from plaintiffs and relevant officers in the judicial process further exacerbates the delay in resolving these cases, allowing perpetrators to evade accountability.
- 3. **Police Apathy:** Despite knowledge of the whereabouts of suspects, law enforcement authorities have failed to apprehend individuals involved in fraudulent activities, contributing to a sense of impunity among wrongdoers.
- 4. **Repetitive Offenses:** Shockingly, individuals previously implicated in recruitment fraud have managed to reenlist in the armed forces using falsified documents, highlighting systemic failures in the verification process.

In light of these alarming developments and the failure of governmental bodies to address them adequately, I humbly urge you to consider the following actions:

- 1. **Direct Intervention:** Given the reluctance of the Prime Minister's Office and relevant ministries to address these issues, your direct intervention as the Supreme Commander of the Armed Forces is paramount to ensure justice and uphold the integrity of our military institutions.
- 2. **CBI Investigation:** The Central Bureau of Investigation's inquiry into recruitment fraud and related financial misconduct must be expedited.
- Presidential Rule: In the absence of effective governance and the blatant disregard for national security concerns by state and central authorities, the imposition of Presidential Rule in Maharashtra becomes imperative to restore law and order and protect the interests of our citizens.

Madam President,

As a suspended primary teacher deeply committed to the principles enshrined in our Constitution, I implore you to heed this urgent plea for action. The continued erosion of trust in our institutions and the flagrant disregard for justice undermine the very essence of our democracy.

I trust in your unwavering commitment to upholding the rule of law and ensuring the safety and security of every Indian citizen. May your decisive action serve as a beacon of hope for justice and accountability in our beloved nation.

Yours sincerely,

Satish Kashinath Khilari

Attached: Previous request application dated 18th October 2022.



Hon'ble perense Secretary EM353773420IN

Hon'ble Draupadi Murmu! EM 353768243IN

Hon'ble Joint secretary(trg)
EM 3537 68230IN

EMISSIVERISOIN IVR:6977353768230
SP PUNE H.O (411001)
Counter Ho:2.72/04/2024.12:54
To:THE MUIN SECK.GOV OF INDIA
PIN:110011, Nirman Bhawan SO
From:5ATISH / WHILARI...
WM:1100ms
Ami:70.80(Cash)Tax:10.80
Clear on www.indiapost.oov.in)

(Diel 18002666868) Wear Masks, Stay Safe)

भारतीय ग्राक

India Post

AMI:70,80(Cash)lax:10.80

EMS537754961M 1VK:6977353775496
SF PUNE H.O (411001)
Counter No:2.22/04/2024.14:16
To:MANIYA MUNH KARYKARI ..
PIH:416416. Sangii H.O
From:SATISH KASHINIAH B..
Wt:87oms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

Grack on www.indiapost.gov.in/

Honible C.E.D. Z.p. San EM 353775496 IN.









:

From US Petition RB • us.petitions@rb.nic.in

To Ajay Kumar Bhalla • hshso@nic.in

Cc satishkhilari81@gmail.com

Date May 6, 2024, 5:20 PM

Standard encryption (TLS).

View security details

महोदय/ महोदया Sir/Madam,

कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है। याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाये। Attached please find for appropriate attention an email petition addressed to the President of India which is self explanatory. Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.

सादर

Regards

(प्रियंवदा रतीश) (Priyamvada Retheesh) अवर सचिव Under Secretary राष्ट्रपति सचिवालय President's Secretariat राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली Rashtrapati Bhavan, New Delhi P690303





7



सम्बंध वना राष्ट्रपति सचिवालय President's Secretariat (PUBLIC-I SECTION) Rashtrapati Bhavan नई दिल्ली - 110004 New Delhi - 110004

सेवा में 70, सचिव, भारत सरकार SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली North Block, New Delhi 110001

SI.No: P1/E/0205240693

दिनांक/Dated: 02/05/2024

विषय/Subject: REQUEST FOR ATTENTION ON HIS/HER PETITION

कृपया, उपर्युक्त विषय पर, भारत के राष्ट्रपति जी को सम्बोधित दिनांक: 22/04/2024 की स्वतः स्पष्ट याञ्चिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है | Enclosed please find for appropriate attention a petition dated: 22/04/2024 addressed to the President of India on the above subject matter, which is self explanatory.

याचिक। पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाये | Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.

प्रतिलिपि/ Copy to:

Mr SATISH KASHINATH KHILARI POST OFFICE- KARGANI, TAL. ATPADI, DISTT. SANGLI MAHARASHTRA -415306 INDIA

आपसे अनुरोध है की मामले में आगे जानकारी के लिए, उपर्युक्त प्रेषिती से सीधे संपर्क करें | You are further requested to liaise with the aforementioned addressee directly for further information in the matter.

> (प्रियंवदा रतीश Priyamvada Retheesh) अवर सचिव Under Secretary

बुक पोस्ट भारत सरकार सेवार्थ / ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

SI.No: P1/E/0205240693

द्वारा / From: राष्ट्रपति सचिवालय President's Secretariat राष्ट्रपति भवन Rashtrapati Bhavan नई दिल्ली 110004 NEW DELHI-110004 To: Mr SATISH KASHINATH KHILARI POST OFFICE- KARGANI, TAL. ATPADI, DISTT. SANGLI MAHARASHTRA -415306 INDIA

Note:- You may use https://helpline.rashtrapatlibhavan.gov.in for submitting your petition/grievance online. नोट: आप अपनी याचिका दर्ज करने के लिए https://helpline.rashtrapatlibhavan.gov.in का उपयोग कर सकते हैं.